

द बगि पकिचर: ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री

संदर्भ एवं पृष्ठभूमि

हाल ही में केंद्र सरकार ने लैटरल एंट्री (Lateral Entry) की अधिसूचना जारी करते हुए 10 विभागों में संयुक्त सचिव (Joint Secretary) के लिये आवेदन आमंत्रित किये हैं अर्थात् अब यह तय हो गया है कि देश की ब्यूरोक्रेसी में UPSC की सविलि सर्विस परीक्षा पास करने वालों का ही वर्चस्व नहीं रहेगा, बल्कि नज्जी कंपनियों में काम करने वाले सीनियर अधिकारी भी सरकार का हिससा बन सकते हैं।

वदिति हो कि पिछले वर्ष जुलाई में सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में देश की सबसे प्रतषिठति मानी जाने वाली सविलि सेवाओं में परीक्षा के माध्यम से नयुक्त के अलावा अन्य कषेत्रों अर्थात् लैटरल एंट्री से प्रवेश का प्रावधान यानी सीधी नयुक्ति करने पर वचिर करने की बात कही थी। प्रधानमंत्री ने तब कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को इसके लिये प्रस्ताव तैयार करने के लिये कहा था, क्योंकि सरकार चाहती है कि नज्जी कषेत्र के अनुभवी उच्चधिकारियों को विभिन्न विभागों में उपसचिव, नदिशक और संयुक्त सचिव स्तर के पदों पर नयुक्त कया जाए।

क्यों ज़रूरत पड़ी लैटरल एंट्री की?

- अर्थव्यवस्था और अवसंरचना जैसे कषेत्रों में थकि-टैकों की आवश्यकता के मद्देनज़र तथा अन्य ऐसे विभागों में जहाँ वशिषिट प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होती है, लैटरल एंट्री से संयुक्त सचिवों की नयुक्ति की जानी है।
- नज्जी कषेत्रों में काम करने वाले लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का चयन उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर कया जाएगा तथा कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति इनका अंतिम रूप से चयन करेगी।
- वगित 30-40 वर्षों में कई बार उच्चधिकारियों की नयुक्ति इस प्रकार लैटरल एंट्री से की गई है और अनुभव कोई बुरा नहीं रहा।

IAS अधिकारियों की कमी: कुछ समय पूर्व देशभर में भारतीय प्रशासनिक सेवा (Indian Administrative Service-IAS) के खाली पदों की संख्या को लेकर एक संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि यह संख्या चतिाजनक स्तर तक पहुँच गई है। तब कार्मिक, लोक शकियात और वधि एवं न्याय की स्थायी संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि केंद्र और राज्यों में लगभग सभी प्रमुख और रणनीतिक पदों पर IAS अधिकारियों की तैनाती की जाती है।

माँग-आपूर्तिका सदिधांत: 2016 तक IAS के लिये कुल स्वीकृत पदों की संख्या 6396 थी, जबकि वास्तविक संख्या में अनुमानतः 1470 का अंतर था। यानी कुल अधिकृत संख्या से लगभग 23% कम अधिकारी नयुक्त थे। IAS अधिकारियों की अधिकृत संख्या और वास्तविक तैनाती में सर्वाधिक 37% अंतर बिहार में था, जबकि सबसे कम 14% अंतर राजस्थान में देखा गया था। छत्तीसगढ़ और पंजाब में यह कमी क्रमशः केवल 15% एवं 16% थी। मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मज़ोरम और केंद्रशासित प्रदेशों में यह कमी 18-19% के दायरे में बनी हुई थी। महाराष्ट्र, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में से प्रत्येक में यह अंतर 22% था, गुजरात और तमिलनाडु में 24%, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में 28% और केरल में यह अंतर 32% था।

(टीम दृष्टि इनपुट)

गुण-दोषों के साथ सावधानी बरतना ज़रूरी

- वशिषज्जों का मानना है कि अधिकारियों के चयन का अधिकार यूपीएससी को ही होना चाहिये। लैटरल एंट्री की प्रक्रिया से भवषिय में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मलि सकता है।
- केंद्र सरकार की तुलना में भारत के राज्यों में भ्रष्टाचार अधिक है और यदकिसी को उत्तरदायी ठहराए बिना किसी पद पर नयुक्त कर दिया जाता है तो उस पर अनुशासनात्मक नयित्रण रखना कठनि हो जाएगा।
- अधकिंश वशिषज्ज उच्चधिकारियों की इस प्रकार सीधी नयुक्ति के पक्ष में हैं, यदकि उनकी नयुक्ति लंबे समय अर्थात् 20-30 वर्ष के लिये की जाए। ऐसा करने से उनकी ज़मिमेदारी नरिधारति की जा सकती है और उनके कार्य की समीक्षा भी हो सकती है।
- इस प्रकार की नयुक्तियाँ उन्हीं हालातों में की जानी चाहिये, जब किसी उच्च सेवा के तहत किसी कार्य वशिष को करने के लिये वशिषज्ज उपलब्ध न हों।

- इस प्रकार की सीधी नयुक्तियों की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिये तथा उसमें किसी प्रकार के भाई-भतीजावाद का स्थान नहीं होना चाहिये, अन्यथा इससे वर्तमान व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है।
- सचिव सतर के पदों पर कार्यकाल नश्चित होना चाहिये, क्योंकि इन्हें नीतियाँ बनाने से लेकर उन्हें लागू करने की प्रक्रिया में लंबे समय तक काम करना होता है। इस मामले में वदिश मंत्रालय का उदाहरण लिया जा सकता है, जहाँ कार्यकाल लगभग नश्चित होता है; वह चाहे देश में हो या वदिश में।

वदिशों में भी है इस प्रकार का चलन

इस मुद्दे पर अन्य देशों से तुलना करना ठीक हो सकता है, लेकिन उनकी नकल करना कतई ठीक नहीं। भारत, फ्राँस, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया और स्पेन जैसे देशों में करियर आधारित प्रणाली है और उसी के आधार पर नयुक्तियाँ होती हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटन और अमेरिका में पद आधारित प्रणाली काम करती है। इन दोनों प्रणालियों के अपने-अपने गुण-दोष हैं।

ब्रिटन में अल्पावधि के लिये ऐसी नयुक्तियाँ होती हैं, लोग आते हैं...सरकार में काम करते हैं...और चले जाते हैं, लेकिन वहाँ एक मज़बूत नगिरानी तंत्र है, जो उन पर नगिाह रखता है कविह अपनी इस कार्यावधि से अनावश्यक लाभ न उठा सकें।

(टीम वृष्टा इनपुट)

कनि वभागों में होंगी ये नयुक्तियाँ?

शुरुआत में सरकार 10 मंत्रालयों--राजस्व वभाग, वित्तीय सेवा वभाग, आर्थिक कार्य वभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जहाजरानी (Shipping) मंत्रालय, नागर वमानन (Civil Aviation) मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, वाणज्य एवं उद्योग मंत्रालय में वशिषज्ज संयुक्त सचिवों को नयुक्त करेगी।

- इन पदों पर आवेदन के लिये न्यूनतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु सीमा तय नहीं की गई है।
- इनका वेतन केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले संयुक्त सचिव के समान होगा तथा अन्य सुवधाएँ भी उसी अनुरूप मलिंगी और इन्हें सर्वसि रूल के तहत काम करना होगा।
- इस प्रकार UPSC से इतर नयुक्त होने वाले संयुक्त सचिवों का कार्यकाल उनकी परफॉर्मेंस के अनुसार 3 से 5 साल का होगा।
- केवल इंटरव्यू के आधार पर इनका चयन होगा तथा कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में बनने वाली कमेटी इनका इंटरव्यू लेगी।
- योग्यता के अनुसार सामान्य ग्रेजुएट और किसी सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई, विश्वविद्यालय के अलावा किसी नज्जी कंपनी में 15 साल का अनुभव रखने वालों को चुना जाएगा।

प्रशासनिक सुधार रपिर्टों में भी है उल्लेख

स्वतंत्र भारत (1951) में प्रशासन की कार्यशैली पर एन.डी. गोरेवाला की रपिर्ट 'लोक प्रशासन पर प्रतविदन' नाम से आई। रपिर्ट के अनुसार कोई भी लोकतंत्र स्पष्ट, कुशल और नषिपक्ष प्रशासन के अभाव में सफल नयोजन नहीं कर सकता। इस रपिर्ट में अनेक उपयोगी सुझाव थे, लेकिन क्रियान्वयन नहीं हुआ।

1952 में केंद्र ने प्रशासनिक सुधारों पर वचार करने के लिये अमेरिकी वशिषज्ज पॉल एपलिबी की नयुक्त की। उन्होंने 'भारत में लोक प्रशासन सर्वेक्षण का प्रतविदन' प्रस्तुत किया। इस रपिर्ट में भी अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव थे, लेकिन जड़ता जस-की-तस बनी रही।

- स्वाधीनता के 19 वर्ष बाद 1966 में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बना, जसिने 1970 अपनी अंतिम रपिर्ट पेश की।
- इसके लगभग 30 वर्ष बाद 2005 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था।
- ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री का पहला प्रस्ताव 2005 में आया था; लेकिन तब इसे सरि से खारजि कर दिया गया।
- इसके बाद 2010 में दूसरी प्रशासनिक सुधार रपिर्ट में भी इसकी अनुशंसा की गई थी, लेकिन इसे आगे बढ़ाने में समस्याएँ आने पर सरकार ने इससे हाथ खींच लिये।
- इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में इसकी संभावना तलाशने के लिये एक कमेटी बनाई, जसिने अपनी रपिर्ट में इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने की अनुशंसा की।
- ब्यूरोक्रेसी के बीच इस प्रस्ताव पर वरीध और आशंका दोनों रही थी, जसि कारण इसे लागू करने में वलिंब हुआ। अंततः पहले प्रस्ताव में आंशिक बदलाव कर इसे लागू कर दिया गया।
- पहले के प्रस्ताव के अनुसार सचिव सतर के पद पर भी लैटरल एंट्री की अनुशंसा की गई थी, लेकिन सीनियर ब्यूरोक्रेसी के वरीध के कारण अभी संयुक्त सचिव के पद पर ही इसकी पहल की गई है।

प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग

- देश में प्रशासनिक सुधारों की अनुशंसा करने के लिये अब तक दो प्रशासनिक सुधार आयोगों का गठन किया जा चुका है।
- सर्वप्रथम इस आयोग की स्थापना 5 जनवरी, 1966 को की गई थी और तब मोरारजी देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया था।
- मार्च 1967 में मोरारजी देसाई देश के उपप्रधानमंत्री बन गए, तो के. हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया।

- इस आयोग का काम यह देखना था कि देश में ब्यूरोक्रेसी को किस तरह से और बेहतर बनाया जा सकता है।
- तब इस आयोग ने अलग-अलग विभागों के लिये 20 रिपोर्टें तैयार की थीं, जसमें 537 बड़े सुझाव थे।
- सुझावों पर अमल करने की रिपोर्ट नवंबर 1977 में संसद के पटल पर रखी गई थी।
- तब से लेकर 2005 तक देश की ब्यूरोक्रेसी इसी आयोग की सफ़ारिशों के आधार पर चलती रही।

दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग

- इसके बाद 5 अगस्त, 2005 को वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया।
- इस आयोग को केंद्र सरकार को प्रत्येक स्तर पर देश के लिये एक सक्रिय, प्रतिक्रियाशील, जवाबदेह और अच्छा प्रशासन चलाने के दौरान आ रही कठिनाइयों की समीक्षा करने और उसका समाधान खोजने की ज़िम्मेदारी दी गई थी।
- इसके अलावा इस आयोग को भारत सरकार के केंद्रीय ढाँचे, शासन में नैतिकता, अधिकारियों को भरती करने की प्रक्रिया को फचिलाया जाने वाला प्रशासन, ई-प्रशासन, संकट प्रबंधन और आपदा प्रबंधन के बारे में भी रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया था।
- इस प्रशासनिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय ब्यूरोक्रेसी में भारी फेरबदल की संभावना की बात कही थी।
- इसने सुझाव दिया था कि संयुक्त सचिव के स्तर पर विशेषज्ञों की नियुक्तियों की जाएँ तथा इन्हें बना परीक्षा पास किये केवल इंटरव्यू के माध्यम से इस पद पर लाया जा सकता है।
- प्रशासनिक आयोग ने तय किया था कि अधिकारी की उम्र कम-से-कम 40 साल होनी चाहिये और उसे काम करते हुए कम से कम 15 साल का अनुभव होना चाहिये।
- इसके अलावा समिति ने सफ़ारिश की थी कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति होती है, उन्हें कम-से-कम तीन साल के लिये किसी नज़ि कंपनी में काम करने के लिये भेजा जाना चाहिये, ताकि वे नज़ि कंपनी में काम करने के तौर-तरीके सीखें और फिर उसे ब्यूरोक्रेसी में भी लागू करें, लेकिन सरकार ने इस सफ़ारिश को नकार दिया।

अलग समिति ने भी की थी सफ़ारिश

सविलि सेवा रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष योगेन्द्र अलघ ने 2002 में अपनी रिपोर्ट में लैटरल एंट्री का सुझाव देते हुए कहा था कि जब अधिकारियों को लगता है कि उनका प्रतियोगी आने वाला है तो उनके अंदर भी ऊर्जा आती है... उनमें भी नया जोश आता है।

इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिका में स्थायी सविलि सर्वेंट और मडि करियर प्रोफेशनल्स का चलन है। वहाँ पर इनकी सेवा ली जाती है। हमारे देश में भी अंतरिक्ष, वजिज्ञान तथा तकनीक, बायोटेक्नोलोजी, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे विभाग हैं, जहाँ पर इनकी सेवा ली जाती है; लेकिन इसका वस्तितार करने की ज़रूरत है तथा अन्य विभागों में भी इनकी सेवा ली जा सकती है।

(टीम वृष्टि इनपुट)

पहले भी होती रही हैं ऐसी नियुक्तियाँ

देश में संयुक्त सचिव के कुल 341 पद हैं, जिनमें से 249 पदों पर IAS अधिकारी ही नियुक्त होते हैं तथा शेष 92 पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है, जो गैर-IAS भी होते हैं। लेकिन इनके लिये अब तक किसी तरह का वजिज्ञापन जारी नहीं किया जाता था और सरकार इन पदों पर नियुक्तियाँ कर देती थी।

- भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सहि एक अर्थशास्त्री थे और दलिली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। उन्हें 1971 में वाणजिय और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने सविलि सेवा की परीक्षा नहीं दी थी। उन्हें 1972 में वजिज्ञान मंत्रालय का मुख्य आर्थिक सलाहकार भी बनाया गया था और यह पद भी संयुक्त सचिव स्तर का ही होता है।
- इसी प्रकार मनमोहन सहि ने बतौर प्रधानमंत्री रघुराम राजन को अपना मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया था और वे भी UPSC से चुनकर नहीं आए थे, लेकिन संयुक्त सचिव के स्तर तक पहुँच गए थे और बाद में रज़िर्व बैंक के गवर्नर बनाए गए थे।
- इनफोसिस के प्रमुख कर्त्ता-धर्त्ताओं में एक नंदन नलिकणी भी इसी प्रकार आधार कार्ड जारी करने वाली संवैधानिक संस्था UIDAI के चेयरमैन नियुक्त किये गए थे।
- इसी प्रकार बमिल जालान ICICI के बोर्ड मेंबर थे जिन्हें सरकार में लैटरल एंट्री मली और वह रज़िर्व बैंक के गवर्नर बने।
- रज़िर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर उरजति पटेल भी लैटरल एंट्री से इस पद पर आए हैं।
- पूर्व में इंदिरा गांधी ने मंतोश सौंधी की भारी उद्योग में उच्च पद पर बहाली की थी। इसे पहले वह अशोक लेलैंड और बोकारो स्टील प्लांट में सेवा दे चुके थे तथा उन्होंने ही चेन्नई में हैवी वहीकल फैक्ट्री की स्थापना की थी।
- NTPC के संस्थापक चेयरमैन डी.वी. कपूर ऊर्जा मंत्रालय में सचिव बने थे।
- BSES के CMD आर.वी. शाही भी 2002-07 तक ऊर्जा सचिव रहे।
- लाल बहादुर शास्त्री ने डॉ. वरगीज़ कुरयिन को NDBB का चेयरमैन नियुक्त किया था, जो तब खेड़ा डिसट्रिक्ट कोआपरेटिव मलिक प्रोड्यूसर यूनियन के संस्थापक थे।
- हडिस्तान लीवर के चेयरमैन प्रकाश टंडन को स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का प्रमुख बनाया गया था।
- केरल स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन के.पी.पी. नांबियार को राजीव गांधी ने इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की ज़िम्मेदारी सौंपी थी।
- इसी प्रकार उन्होंने सैम पतिरौदा को भी कई अहम ज़िम्मेदारियाँ सौंपी थी।

वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव तथा योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मॉटेक सहि अहलुवालिया के अलावा शंकर आचार्य, राकेश मोहन, अरवि वरिमानी और अशोक देसाई ने भी लैटरल एंट्री के माध्यम से सरकार में जगह बनाई। जगदीश भगवती, वजिय जोशी और टी.एन. शरीनवासन ने भी इसी प्रकार सरकार को अपनी सेवाएँ दी। इनके अलावा योगदिर अलग, वजिय केलकर, नीतनि देसाई, सुखमोय चक्रवर्ती जैसे न जाने कतिने नाम हैं, जनिहें लैटरल एंट्री के ज़रयि सरकार में उच्च पदों पर काम करने का मौका मला।

- राज्य स्तर पर देखें तो शशांक शेखर सहि इसका सबसे बड़ा उदाहरण रहे हैं, जो 2007 से 2012 के बीच उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के समय राज्य के कैबिनेट सचिव थे और IAS अधिकारी होने के बजाय एक पायलट थे।

नषिर्कषः सरकार का तर्क है कि लैटरल एंट्री के तहत उच्च पदों पर नयुक्तयिँ कोई पहली बार नहीं की जा रही हैं, बल्कि इस प्रकार की नयुक्तयिँ पूर्व में भी की जाती रही हैं, अंतर केवल इतना है कि इस बार इन नयुक्तयिँ के लयि आवेदन आमंत्रति कयि गए हैं। दूसरी ओर इस प्रकार की नयुक्तयिँ का वरिध करने वालों का कहना है कि इससे UPSC एक असहाय संस्था बनकर रह जाएगी और आरक्षण व्यवस्था को भी नुकसान पहुँचेगा।

देखा यह गया है कि जब भी ब्यूरोक्रेसी में सुधार की चर्चा होती है, तो इसका वरिध होने लगता है; लेकिन अब सरकार ने इस राह पर कदम बढ़ा दयि हैं। सरकार का कहना है कि ऐसा करने से विकास की नई अवधारणा से ब्यूरोक्रेसी खुद को सीधे तौर पर जोड़ सकेगी।

इसी प्रकार कुछ वशिषज्जों का मानना है कि यदि सरकार ब्यूरोक्रेसी में सुधार करके काम करने की प्रक्रया को सरल बनाना चाहती है, तो इसका वरिध नहीं होना चाहयि। नजिी कषेत्र से संयुक्त सचिवों की सीधी भरती ऐसा ही एक कदम है, क्योकि नजिी कषेत्र में दक्षता और पारदर्शति की मदद से ही कोई कामयाब हो सकता है, जबकि सरकारी तंत्र के लयि ऐसा होना आवश्यक नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि ब्यूरोक्रेसी में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले इसे राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने की भी आवश्यकता है।

इसलयि आगे बढ़ने से पहले यही उचित होगा कि देश की ज़रूरतों के मद्देनज़र UPSC के माध्यम से नयुक्तयिँ की संख्या बढ़ाई जाए। सविलि सेवाओं के लयि चयन का अधिकार संवधान के तहत केवल UPSC को दयिा गया है, इसलयि इससे बाहर जाकर नयुक्तयिँ करना लोकतांत्रिकि मूल्यों पर तो आघात होगा ही, साथ ही इस परीक्षा से जुड़ी मेरिट आधारति, राजनीतिक रूप से तटस्थ सविलि सेवा के उद्देश्य को भी कषति पहुँचेगी। ऐसे में लैटरल एंट्री को लेकर उठ रही तमाम आशंकाओं को दूर करने का प्रयास सरकार को करना चाहयि।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/lateral-entry-in-bureau>

